न्यायालय अति. सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 54 / 2017 जिला सीकर।

1. द्वारका प्रसाद पुत्र श्री गोविन्दराम , जाति ब्राह्मण (तिवाडी) हाल, निवासी ग्रम खेडी चारणान, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।
2. नन्दकिशोर पुत्र श्री गोविन्दराम, जाति ब्राह्मण (तिवाडी) हाल निवासी 116 –ए, शान्ति नगर, झोटवाडा, तहसील व जिला जयपुर । (फौत दौराने अपील)

2/1 मंजू देवी पत्नी स्व. नन्द किशोर
2/2 धन्नजय पुत्र स्व. नन्दकिशोर
2/3 ममता पुत्री स्व. नन्दकिशोर
2/4 पूजा पुत्री स्व. नन्दकिशोर
2/5 प्रतिभा पुत्री स्व. नन्दकिशोर
2/6 प्रिया पुत्री स्व. नन्दकिशोर
समस्त जाति ब्रह्मण, निवासी ग्रम खेडी जाजोद, वाया खण्डेला, जिला सीकर , हाल निवासी प्लाट नम्बर 116 ए, शान्ति नगर झोटवाडा, जयपुर

3. रामावतार पुत्र श्री गोविन्दराम, जाति ब्राह्मण (तिवाडी) हाल निवासी जगतपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।

अपीार्थीगण

बनाम

1. योगेन्द्र कुमार पुत्र फूलचन्द, जाति ब्राह्मण निवासी खेडी चारणान, तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

मुख्य रेस्पोडेन्ट

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

2. बिरजूदान उर्फ विजय सिंह पुत्र शिम्भू दान सिंह जाति चारण
3. कान सिंह पुत्र शिम्भूदान सिंह जाति चारण
4. नाथू लाल पुत्र स्व. श्री बद्रीनारायण जाति ब्राह्मण निवासी खेडी चारणान , तहसील खण्डेला, जिला सीकर ।

तरतीबी रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आज्ञा उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 7.6.2017

उपस्थित–
1. वकील अपीलान्ट श्री बनवारी लाल शर्मा
2. वकील रेस्पोंडेन्ट श्री आत्माराम शर्मा एवं श्री औम प्रकाश शर्मा

निर्णय

दिनांक– 17.7.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 7.6.2017 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है :–

यह कि रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 योगेन्द्र कुमार द्वारा एक प्रार्थना पत्र न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसकी

खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 0.36 हैक्टेयर तन ग्रम खेडी चारणान, पटवार हल्का जाजोद, तहसील खण्डेला, जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.6.2016 के अनुसार पत्थरगढी कराई जावे । रेस्पोडेन्ट के उक्त प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2017 प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने तथा फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.6.2016 के अवलोकन से एवं लोक अदालत की भावना से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा0.36 हैक्टेयर तन ग्रम खेडी चारणान पटवार हल्का जाजोद, तहसील खण्डेला की मुताबिक फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.6.2016 के नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा किया जाकर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित की जावे । उक्तानुसार पत्थरगढी कार्यवाही के सम्पादन हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो ।

उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 7.6.2017 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील मियाद अधिनियम की धारा 5 के प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 9.11.2017 को प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 7.6.2017 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ।

चित्रा
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि रेस्पोंडेन्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह स्वीकार किया था कि खसरा नम्बर 533 रकबा 1.79 हैक्टेयर गैर मुमकीन आबादी निवास के लिये अवस्थित है जिस पर अपीलान्ट निवास कर उपयोग उपभोग कर रहे हैं । अपीलान्ट संख्या 2 व 3 वर्तमान में जयपुर अपने निवास पर रह रहे हैं , लेकिन जो नोटिस प्रेषित किया गया वह ग्रम खेडी चारणवास का प्रेषित किया गया था, जो अपीलान्ट को कभी प्राप्त नहीं हुआ और न ही अपीलान्ट को उक्त निर्णय की जानकारी ही हुई । अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को बिना सुने व विधिवत तामिल कराये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धन्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । उनका कहना था कि खसरा नम्बर 533 ग्रम पंचायत डाल्यावास, पंचायत समिति खण्डेला द्वारा दिनांक 23.3.59 व ग्रम पंचायत जाजोद, पंचायत समिति खण्डेला द्वारा दिनांक 11.12.67 को अपीलान्ट्स के पिता के नाम बुजुर्गो के पुख्ता कब्जे काश्त के आधार पर पट्टा जारी किया था जिस पर अपीलान्ट पूर्वजों के समय से निवास कर रहे है । दोनों पट्टों का कुल क्षेत्रफल 844+275 अर्थात 1119 वर्गगज है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 व नाथू लाल की भूमि अपीलान्ट के भू खण्ड के पश्चिमी व दक्षिण दिशा में है । रेस्पोंडेन्ट्स राजनैतिक पहुँच एवं बाहुबल के आधार पर अधिक होने के कारण जबरन अपीलान्ट के पुख्ता मकानात में प्रवेश करने की कुचेष्टा करते हैं जिसके बाबत अपीलान्ट ने सिविल न्यायालय श्रीमाधोपुर में एक वाद संख्या 185/2016 उनवानी द्वारका प्रसाद बनाम योगेन्द्र प्रस्तुत कर रखा है जिसमे दिनांक

29.8.16 को मौके की यथास्थिति हेतु पाबन्द किया हुआ है । रेस्पोंडेन्ट ने उक्त तथ्यों को छिपाते हुये अधीनस्थ न्यायालय को गुमराह कर एकतरफा सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पत्थरगढी कराने का अपीलाधीन आदेश कैम्प में पारित कराया है जिसकी अपीलान्ट को कतई जानकारी नहीं थी । राज्य सरकार की यह मंशा होती है कि राजस्व कैम्प में राजीनामें के आधार पर प्रकरणा का निस्तारण किया जावे । उनका कहना था अपीलान्ट संख्या 2 नन्दकिशोर विकलांग व्यक्ति है तथा अक्सर बीमार रहता है जिसका फायदा उठाते हुये अपीलाधीन आदेश पारित कराया है, जो किसी भी स्थिति न्यायिक नहीं है । अतः अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर अपील अपीलान्ट गुणावगुण पर स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे ।

रेस्पोंडेन्ट्स के योग्य अधिवक्ताओं ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 0.36 हैक्टेयर वाके ग्रम खेडी चारणान पटवारी हल्का जाजोद, तहसील खण्डेला, जिला सीकर के रेस्पोंडेन्ट रेकार्डेड खातेदार है जिनकी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार खण्डेला के आदेश दिनांक 3.6.2016 की अनुपालना में पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 24.6.2016 किया जाकर फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई थी जिस पर गॉव के कुछ मौजीज व्यक्तियों के हस्ताक्षर भी है । रेस्पोंडेन्ट अपनी खातेदारी भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी कराने का विधिक अधिकारी है और इसी आधार पर उसके द्वारा पत्थरगढी कराने का प्रार्थना पत्र उप खण्ड अधिकारी खण्डेला को प्रस्तुत किया था । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला ने उनके समक्ष रेस्पोंडेन्ट्स जो इस अपील में अपीलान्ट्स है, को विधिवत नोटिस जारी कर, बाद तामिल उनकी ओर से कोई उपस्थिति नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये वकील अपीलान्ट की बहस सुनकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2017 पारित कर सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.6.16 के अनुसार नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा किया जाकर पत्थरगढी कार्यवाही सम्पादित करने हेतु तहसीलदार खण्डेला को आदेश दिये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है । अपीलान्ट्स का रेस्पोंडेन्ट्स की उक्त खातेदारी भूमि से कोई संबंध नहीं है , केवल रेस्पोंडेन्ट्स को हैरान एवं परेशान करने के उद्देश्य से यह अपील प्रस्तुत की है, जो सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

चित्र
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मैने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया । उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया । पक्षकारान के मध्य विवादित भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी किये जाने के संबंध में विवाद है । रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 योगेन्द्र कुमार के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 7.6.2017 पारित कर प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षिय बहस सुनकर पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के अवलोकन करने तथा फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.6. 2016 के अवलोकन से एवं लोक अदालत की भावना से प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया गया कि भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा0.36 हैक्टेयर तन ग्रम खेडी चारणान पटवार हल्का जाजोद, तहसील खण्डेला की मुताबिक फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.6.2016 के नियमानुसार शुल्क राजकोष में जमा किया

जाकर पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पादित की जावे । उक्तानुसार पत्थरगढी कार्यवाही के सम्पादन हेतु तहसीलदार खण्डेला को तहरीर आदेश जारी हो ।

उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में हम समझते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश इस अपील के अपीलान्ट जो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेन्ट थे उनको बिना सुने व सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही तथा विधिवत नोटिस तामिल कराये बिना एकपक्षीय बहस सुनकर पूर्व की सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी कराने का अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ होने से निरस्तनीय है । विवादित भूमि अपीलान्ट्स की पट्टेशुदा भूमि होने व भूमि पर मकानात आदि बनाकर निवास करना बताते हैं । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति हैं जिन्हें प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने उन्हें बिना सुने ही एकपक्षीय आधार पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधिसम्यक नहीं है । हम समझते हैं कि प्राकृतिक न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के परिपेक्ष्य में विवादित भूमि के हितबद्ध प्रभावित व्यक्तियों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी खण्डेला , जिला सीकर को प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है । परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उप खण्ड अधिकारी खण्डेला, जिला सीकर दिनांक 7.6.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उन्हें उभयपक्षकारों को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे । इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो ।

निर्णय आज दिनांक 17.7.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

चित्रा

(चित्रा गुप्ता)

अति. सम्भागीय आयुक्त

जयपुर